न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–117 / 2009

राज कुमारी देवी.....वादीगण

बनाम

लालपरी देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

13.05.25 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–4 की ओर से न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.02.2025 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–05.03.2025 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–25.03.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन आदेश दिनांक–12.02.2025 को वापस लेने हेतु दाखिल किया गया है जिसके तहत प्रतिवादी सं0–4 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिस संबंध में प्रतिवादी की ओर से साक्षी सूचि प्रतिवादी सं0–4 पहले ही न्यायालय में प्रस्तु किया जा चुका है और प्रतिवादी सं0–4 पहले ही गवाही दे चुका है एवं प्रतिवादी सं0–4 की ओर से गवाही चल रही थी। इसी बीच साक्षी सं0–2 जगा राय की गवाही के लिए दिनांक–12.02.2025 को नियत हुआ, परन्तु कुंभ यात्रियों के कारण ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण वह देसरी स्टेशन से ट्रेन छूट जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिस कारण प्रतिवादी सं0–4 की ओर से साक्ष्य नहीं हो सका जो महत्वपूर्ण साक्षी है। प्रतिवादी सं0–4 की ओर से विनम्रनिवेदन है कि न्यायहित में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए जिसके लिए उपरोक्त आवेदन को वापस नहीं लिया जाता है तो प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि आदेश दिनांक–12.02.2025 को वापस लेने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में वादी ने निवेदन किया है कि मुकदमा काफी पुराना है जिसका त्वरित निष्पादन आवश्यक है तथा प्रतिवादी को साक्ष्य रिकॉल कराने का कोई अधिकार नहीं है, चूँकि प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया और जुर्माना भी लगाया गया तब भी प्रतिवादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए जिसके पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक–20.11.2024 को प्रतिवादी का साक्ष्य बन्द कर मुकदमा को प्रतिवादी के बहस पर रखा गया और वादी बहस करने को तैयार है। प्रतिवादी जानबूझकर मुकदमा के निष्पादन होने नहीं देना चाहता है। अतः निवेदन कि प्रतिवादी के आवेदन को खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में प्रतिवादी साक्ष्य बन्द होने के तत्पश्चात् बहस हेतु नियत हुआ तथा अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किया जाना उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु एवं वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः न्याय के उद्देश्य से अभिलेख को पुनः प्रतिवादी के साक्ष्य पर नियत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रतिवादी की ओर से दाखिल उपरोक्त आवेदन को मो0 200 / – रुपये खर्च वादी को अदा किए जाने के इस शर्त के साथ आदेश दिनांक–12.02.2025 को वापस लेते हुए स्वीकृत किया जाता है कि प्रतिवादी अगली सात तिथियों के भीतर अपना साक्ष्य अविलंब पूर्ण करें। तत्पश्चात् वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे शेष तीन साक्षियों को अगले तीन तिथियों में निश्चित रूप से न्यायालय में प्रस्तुत कर अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

अभिलेख दिनांक–18-06-2025 वास्ते पुनः प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।